प्रेस नोट–139/2026
दिनांक 11.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से राष्ट्रीय साइक्लिस्ट व पर्वतारोही सुश्री आशा मालवीय द्वारा की गयी शिष्टाचार भेंट

आज दिनांक **11.03.2026** को **श्री राजीव कृष्ण**, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से राष्ट्रीय स्तर की **एंड्योरेंस साइक्लिस्ट, पर्वतारोही एवं प्रेरक खिलाड़ी सुश्री आशा मालवीय** ने शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात उनके चल रहे साइक्लिंग अभियान के दौरान हुई, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, धैर्य तथा राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उनके असाधारण साहस, समर्पण और कठिन अभियानों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयास देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं तथा नारी शक्ति की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। देश के विविध और चुनौतीपूर्ण भूभागों में हजारों किलोमीटर की उनकी साइक्लिंग यात्राएँ धैर्य, अनुशासन और राष्ट्रीय भावना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस साइकिल यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएँ प्रदान की गईं।

शिष्टाचार भेंट के दौरान सुश्री मालवीय ने देशभर में अपनी साइक्लिंग यात्राओं के अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प और साहस के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी यात्राओं को पूरा किया। अब तक वह अपने विभिन्न अभियानों के माध्यम से **64,000 किलोमीटर से अधिक की साइक्लिंग यात्रा पूरी कर चुकी हैं।** उन्होंने युवाओं, विशेषकर युवतियों को अपने सपनों का साहसपूर्वक पीछा करने और देश के लिए सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

सुश्री आशा मालवीय मध्य प्रदेश के जनपद राजगढ़ के नटराम गाँव की निवासी है, जो एक साहसी पर्वतारोही भी हैं। उन्होंने **20,500 फीट ऊँची 'बिसी राय'** तथा **19,545 फीट ऊँची 'तेनजिंग खान'** सहित अनेक पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक आरोहण कर **भारतीय तिरंगा फहराया** है।

प्रेस नोट–140 / 2026
दिनांक 11.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सीतापुर- Bombitex/Bmaxx क्रिप्टो एक्सचेन्ज एप के माध्यम से धोखाधड़ी कर अर्जित की गयी करीब कुर्की/लाख सम्पत्ति की जब्तीकरण 11 करोड़ 5 के संबंध में की गयी कार्यवाही

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के क्रम में **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण** द्वारा संगठित अपराधियों एवं माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सीतापुर के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर व साइबर स्वाट/पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर में मु0अ0सं0 347/2025 धारा 318(4)/316(2) BNS वादी श्री विराट राठौर पुत्र रामचन्द्र निवासी नवीन चौक सीतापुर थाना रामकोट जनपद सीतापुर बनाम 1. CEO/MD Bombitex/Bmaxx जय प्रकाश मौर्या पुत्र महिपाल मौर्या निवासी मदाह-राजेपुर मितौली लखीमपुर, 2. Director Bombitex/Bmaxx अनुष्का (आशा देवी) मौर्या पत्नी जय प्रकाश मौर्या निवासी राजेपुर मितौली लखीमपुर, 3. Director Bombitex/Bmaxx देवेन्द्र मौर्या पुत्र यतेन्द्र मौर्या निवासी सहसापुर सीतापुर, 4. Promoter Bombitex/Bmaxx नितिका मौर्या पुत्री कमलेश कुमार मौर्या निवासी रहतारा लखीमपुर, 5. Fund Manager Bombitex/Bmaxx दयाशंकर मौर्या पुत्र महिपाल मौर्या निवासी मदाह राजेपुर मितौली लखीमपुर के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में कृत कार्यवाही।

सन्दर्भित प्रकरण में विराट राठौर पुत्र रामचन्द्र निवासी नवीनचौक सीतापुर थाना रामकोट जनपद सीतापुर में व उनके अन्य 24 पीड़ितों द्वारा एक प्रा0 पत्र पुलिस अधीक्षक सीतापुर के समक्ष एक प्रा0 पत्र BOMBITEX व BMAXREALITY के सीईओ जय प्रकाश मौर्य पुत्र महिपाल मौर्य निवासी राजेपुर मितौली लखीमपुर व उनकी पत्नी आशा देवी व उनके सहयोगी व रिश्तेदार देवेन्द्र मौर्य व दयाशंकर मौर्य दीपिका मौर्य आदि के विरूद्ध इस आशय का प्रा0 पत्र दिया की आरोपीगणों का एक संगठित अपराधिक गिरोह है जिसके द्वारा BOMBITEX कम्पनी खोलते हुये और विभिन्न वेवसाइट बनाते हुये निवेशकों को भिन्न भिन्न स्कीमों में पैसा जमा कराने के लिये प्रेरित करने लगे और उन्होंने निवेशकों को एक स्कीम बताते हुये WWW.BOMBITEX.COM की एक वेवसाइट बनाई जिसमें पैसा जमा करने पर प्रतिमाह 15 प्रतिशत साधारण ब्याज व जमा कराने वाले व्यक्ति को कुल धन का 07 प्रतिशत ब्याज देना बताया।

उक्त जय प्रकाश मौर्य पूर्व में ABMPL कम्पनी में काम करता था जिसमें पुष्पेन्द्र मौर्य डायरेक्टर था। जयप्रकाश मौर्य द्वारा वही से ठगी के तौर तरीके सीखकर अपनी कम्पनी BOMBITEX PORTAL LLC LTD का रजिस्ट्रेशन दुबई में कराया था, तथा BOMBITEX INFOTECH PVT. LTD का रजिस्ट्रेशन ROC कानपुर में कराया था। जिसे दिखाकर लोगों को यह दिखाने का प्रयास करता था कि उसका काम वैधानिक है उसके लोकलुभाव ने शर्तों से प्रभावित होकर निवेशको द्वारा भारी मात्रा में धन जमा किया गया। कुछ दिनों तक निवेशको को लाभ दिया गया फिर उक्त लाभ को रोक दिया गया जिससे निवेशकों में अफरा तफरी का भाव पैदा हो गया , उक्त कम्पनी के सीईओ जयप्रकाश मौर्य व उनके सहयोगियों द्वारा भिन्न-2 निवेशकों से लगभग 50 करोड़ की ठगी की जा चुकी है।

उक्त प्रा0 पत्र की जांच पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनायक भोंसलें को दिया गया जिसमें प्रथम दृष्टया अपराध घटित पाते हुये उनके द्वारा उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकरण का आदेश दिया गया जिसपर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 347/2025 धारा 318(4) व 316(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना से अभियोग में धारा 318(4) व 316(5) व 3(5) बीएनएस में परिवर्तित किया गया। अभियोग की विवेचना निरीक्षक दुर्गादत्त सिंह थाना कोतवाली नगर को सुपुर्द की गयी तथा उक्त व्यापक धोखाधड़ी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अनूप शुक्ला, साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार रावत व स्वाट थाना प्रभारी सतेन्द्र विक्रम सिंह व निरीक्षक दुर्गादत्त सिंह की एक टीम गठित की गयी। उक्त टीम द्वारा निरन्तर प्रयास कर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व अपराध से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाने का कार्य किया गया जिससे उक्त टीम द्वारा यह जानकारी अर्जित की गयी कि अभियुक्तगणों का जाल जनपद लखीमपुर खीरी, जनपद सीतापुर, जनपद हरदोई, जनपद बरेली, जनपद पीलीभीत आदि जनपदों में फैला हुआ है। टीम द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति को प्रथम चरण में लाख की सम्पत्ति 30 करोड़ 3 वीएनएसएस की 107 लाख रुपये में खाते में सीज किया गया था। तथा दूसरे चरण में 51 कुर्क व लाख की रुपये की सम्पत्ति कुर्क की गयी है। जिसमें 30 करोड़ 01 कार्यवाही के तहतग्राम पिछवाडा तहसील हसनगंज उन्नाव की शेष जमीन जिसकी अनुमानित कीमत 01 करोड व आशा देवी मर्सिडीज कार U.P 65 DQ 3888 जिनकी कुल किमत लगभग 30 लाख है को कुर्क की गयी है। अब तक कुल कुर्क की गयी सम्पत्ति की कीमत करीब लाख रुपये है। 11 करोड़ 5

अपराध करने का तरीकाः—

1. Bombitex infotech Pvt. Ltd. नाम की कंपनी अक्टूबर 2024 में रजिस्टर कर के एक वेबसाइट www.bombitex.com बनाया। जिसमें लोगों को स्कीम बताया गया कि आपके द्वारा पैसे इन्वेस्ट करने पर, इन्वेस्ट किये पैसों का 15% monthly return जो प्रत्येक दिन 0.5% प्रतिदिन 360 दिनों तक मिलेगा व दो लोगों को अपने same amount से 30 दिन के अंदर ज्वाइन कराने पर 350% रिटर्न 700 दिन तक मिलेगा। जनवरी 2025 में एक नई स्कीम बताई गई, जिसमें कमीशन 15% से घटाकर 7.5% कर दिया गया। इसके बाद bombitex को दो पार्ट में बांट दिया गयाः-
2. bombitex.com (ट्रेडिंग) अपना एक ट्रेडिंग ऐप बना दिया बॉम्बिटेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप जिसमें लगभग 10 % लोग ट्रेड करते थे।
3. Bombitexpro (बहुत से लोग कोई रिस्क न लेते हुए stalking करते थे जिससे अच्छा कमीशन मिलता था) जो भी earning bombitex से होती थी, वह TRUST WALLET या अन्य किसी wallet (pancakeswap, metamask)में ले लेते थे या अन्य कोई इन्वेस्टर जब पैसे इन्वेस्ट करता था, तो इसी earning में से से अपने usdt को दूसरे के इन्वेस्टमेंट में डाल देते थे और पैसे कैश ले लेते थे।
4. ट्रेडिंग में लोगों को प्रॉफिट / रिस्क के विषय में जानकारी होती थी किंतु जो पैसे स्टॉकिंग से आते थे वो सब पैसे सिर्फ बेवसाइट पे नंबर के रूप में प्रदर्शित होते थे और उन पैसों को दीपक आजमगढ़ व अन्य कई लोगों से नगद पैसे को देकर usdt लेकर अपने वॉलेट में जमा कर हवाला के माध्यम से सारा पैसा बाहर देशों में भेजकर दुबई में प्रोपर्टी खरीदी गयी।
5. अभियुक्त जयप्रकाश मौर्य ने BMAXREALITY की योजना चलाई जिसके लिये ग्राम पिछवाड़ा में उसने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर 05 वीघा जमीन अपने डायरेक्टर देवेन्द्र मौर्य के द्वारा खरीद वायी तथा उक्त जमीन में पैसा लगाने के लिये AZEROP की बेवसाइट बनायी जिसकी कीमत 3.55 usdt थी जिसकी भारतीय मुद्रा में किमत करीब 315 रूपये थी को लांच किया जिसकी लाकिंग

पिरीयड 10 माह थी लोगो ने भारी मात्रा में इसमें पैसा लगाया 10 माह के पूर्व ही लोगों का पैसा हडपते हुये जयप्रकाश मौर्य विदेश भाग गया BMAXREALITY में पैसो का निवेश AZEROP के माध्यम से जमा होता था।

पूर्व में कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण

- पूर्व में लाख रुपये में खाते में सीज किया गया है। 51 लाख की सम्पत्ति कुर्क व 30 करोड़ 3

सीज की गयी सम्पत्तिः-

1. भूखण्ड ग्राम पिछवाड़ा तहसील हसनगंज जनपद उन्नाव जिसका क्षे0 0.2900 हेक्टेयर है कीमत करीब 01 करोड़।
2. मर्सिडीज कार मॉडल नं0 GLA200D वाहन संख्या UP65DQ3888 खरीदी गयी, जो फ्रॉड कर अर्जित धनराशि से खरीदी गयी है। जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये है

<u>अपराध से बचाव के तरीकेः-</u>

1. क्रिप्टो में निवेश करने कि लिए FIU- IND(FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT-INDIA) से पंजीकृत APP जैसे CION DCX, COIN SWITCH, BINANCE आदि का ही उपयोग करें।
2. किसी भी गारेन्टेड प्रोफिट या कम समय में पैसा अधिक करने की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले भलीभांति नियम व शर्तो को पढ़े।
3. DECENTRALISED APP, TRUST WALLET, META MASK आदि में क्रिप्टों में इनवेस्ट ना करें।
4. बार-बार सिर्फ कैश लेकर आने को कहा जाए यह फ्रॉड का सकेत है।
5. जिसको आप मिल रहे है उसके बारे में गूगल/सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी इकठ्ठा करे।
6. फिक्सड इनकम/मन्थली रिटर्न देने का कोई फिजिकल कॉन्ट्रेक्ट न दे सिर्फ मौखिक वादा करे।
7. इन्वेस्ट करने से पहले कम्पनी का CIN. NUMBER (CORPORATE INDENTIFICATION NUMBER) मांगे और उसे वेरीफॉई करें।
8. कम्पनी का बैंक अकाउन्ट कम्पनी के नाम पर होना चाहिए किसी व्यक्ति के नाम पर नही।
9. WITHDRAWAL का लिखित नियम मांगो – UPFRONT FRAUD पकडा जाये।

.10कम्पनी से GOVERNMENT TAX INVOICE मागों।

प्रेस नोट–141/2026
दिनांक 11.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 11.03.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर इकाई** द्वारा श्री इमरान निवासी फैसल टाउन खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर से विवेचना में नाम न बढ़वाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौकी खाताखेड़ी से **मुख्य आरक्षी विनोद कुमार (तैनाती थाना मण्डी सहारनपुर)** पुत्र बेगराज सिंह निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत को **15 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **302 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 10.03.2026 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विद्यार्थी तिराहा से सहारनपुर जाने वाले रास्ते से 02 अभियुक्तों 1–आवेश उर्फ बिल्लू 2–आरिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 302 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना गंगोह पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आवेश उर्फ बिल्लू निवासी घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

2–आरिफ निवासी ग्राम बसेडा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1–302 ग्राम अवैध स्मैक।

- **जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली कन्नौज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कन्नौज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कन्नौज द्वारा थाना कोतवाली कन्नौज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 5(जे)(2) व 5(1)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शबी को सश्रम आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जहाँगीरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 17–17 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना जहाँगीरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/323/325/504/506/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अशोक कुमार 2–अर्जुन कुमार 3–बृजभान को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 17–17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————